

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी० ए० निस वाद सं0- 100A/2019-20  
केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)  
पार्वती मार्डी .....आवेदक / विक्रेता

बनाम

मानगोविन्द मुर्मू .....क्रेता

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अम्युक्ति

दिनांक

30.07.2020

**विक्रेता** :- पार्वती मार्डी, पति स्व0 रामाय मार्डी, ग्राम-पोखरिया,  
थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड),  
जाति-संथाल।

**क्रेता** :- मानगोविन्द मुर्मू पिता रामाय मुर्मू ग्राम-ऊपरशिला  
थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड),  
जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.10.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता मानगोविन्द मुर्मू पिता रामाय मुर्मू ग्राम-ऊपरशिला, थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

## :: भूमि का विवरण ::

| मौजा      | थाना / थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा  |
|-----------|-----------------|----------|-----------|-------|
| कुमड़ोशोल | राजनगर/392      | 28       | 557       | 55डिं |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्टेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 302 A दिनांक 20.03.2020 के द्वारा जाँच एवं सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के ससुर स्व0 गाने माझी के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने सुसर तथा पति के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-2.69एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

६

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता पार्वती मार्डी, पति स्व0 रामाय मार्डी, ग्राम-पोखरिया, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता मानगोविन्द मुर्मू पिता रामाय मुर्मू ग्राम-ऊपरशिला, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-55 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

6  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।  
20/10/2020